राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर
फोन न. 0141–2229981, E mail ID : comhnhm@gmail.com

कोविड–19
अति आवश्यक

क्रमांक : एफ (6) एनएचएम/आरसीएच/जेएसवाई/COVID-19/2020/1526 दिनांक :– 28.04.2020

परिपत्र

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वाइरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष में राज्य में मातृ स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के संबंध में निम्न नवीनतम दिशानिर्देश जारी किये जाते है:–

❖ **प्रसव पूर्व देखमाल सेवाएं:–**

1. प्रत्येक गर्भवती महिला को गर्भधारण के साथ ही अतिशिघ्र रजिस्ट्रेशन कर लिया जावे एवं पीसीटीएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाइन लिस्टिंग सुनिश्चित की जावे।
2. पीसीटीएस लाइन लिस्टिंग के अनुसार अधिक जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं एवं सामान्य गर्भवती महिलाओं का वर्गीकरण कर लिया जावे।
3. विभागीय प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्येक गर्भवती महिला को हीमोग्लोबिन की मात्रा अनुसार आईएफए, केल्शियम और एल्बेंडाजोल की गोलियां उनके घर पर ही आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से अन्यथा चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध कराई जावे।
4. अधिक जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पर एएनसी जांच हेतु 104 जननी एक्सप्रेस वाहन द्वारा भेजा जा सकता है।
5. गर्भवती महिला को हर समय आवश्यक सेवाएं प्राप्त हो सके इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
6. सभी ब्लड बैंक अथवा ब्लड स्टोरेज यूनिट को क्रियाशील रखा जाना अति आवश्यक है ताकि मांग अनुसार ब्लड की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।
7. जिले में उपलब्ध विशेषज्ञ सेवाएं गर्भवती महिलाओं को समय पर प्राप्त हो सके एवं अधिक जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को समुचित संस्थान पर रेफर किया जा सके, यह सुनिश्चित किया जावे ताकि समय पर आपातकालीन सेवा प्राप्त हो सके।
8. कंटेनमेंट, हॉटस्पॉट और क्लस्टर एरिया के अधीन ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनकी आगामी 2 सप्ताह में प्रसव की संभावित दिनांक आने वाली है उन्हें एएनएम आशा द्वारा प्रथक से सूचीबद्ध कर नजदीकी संस्थान पर कोविड–19 की आवश्यक जांच अथवा स्क्रीनिंग चाहिए ताकि प्रसव के समय उनकी जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रसव सेवाएं दी जा सके।

❖ **प्रसव सेवाएं:–**

1. सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उपजिला चिकित्सालय स्तर पर सामान्य प्रसव सेवाएं उपलब्ध की जानी चाहिए।
2. इन सभी केंद्रों पर प्रसव पूर्व सेवाएं, सामान्य प्रसव एवं आवश्यक नवजात शिशु सेवाएं उन सभी महिलाओं को दी जानी है जो कोविड–19 जांच में नेगेटिव पाई जाती है।
3. सभी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय एवं क्रियाशील एफ आर यू केंद्रों पर कॉम्प्रिहेंसिव आपातकालीन जिसमें सिजेरियन प्रसव सेवाएं भी सम्मिलित है, दी जानी हैं।
4. मेडिकल कॉलेज अथवा जिला चिकित्सालय जो कोविड–19 हेतु चयनित हैं, उनमें कोविड–19 पॉजिटिव व Suspected गर्भवती महिलाओं को प्रसव सेवाएं दी जानी है।
5. संभावित (Suspected) कोविड–19 गर्भवती महिलाएं वह कहलायेगी:–
   - जिन्होने हॉटस्पॉट, क्लस्टर अथवा कंटेनमेंट जॉन में यात्रा की हो।
   - जो किसी कोविड–19 व्यक्ति के संपर्क में रहे हो।
   - जिनमें कोविड–19 के लक्षण जैसे कि बुखार सांस लेने में तकलीफ वह गले में खराश आदि हो।
   - वे गर्भवती महिलाएं जिनका इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम कमजोर हो।
   - वे गर्भवती महिलाएं जिनमें SARI/ILI के लक्षण हो।

Scanned with CamS

ऐसी महिलाओं को जिला चिकित्सालय अथवा मेडिकल कॉलेज केंद्र पर जहां सभी आवश्यक सुविधाएं हो, से कोविड–19 के परिपेक्ष में प्रसव सेवाएं दी जानी है। सभी चिकित्सालयों को उन सभी गर्भवती महिलाएं जो किसी हॉट स्पॉट, क्लस्टर, कंटेनमेंट जॉन से आई है उनके सेम्पल लेकर संबंद प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजे जाने हैं।

❖ ऐसी गर्भवती महिलाएं जो निजी चिकित्सालय में प्रसव सेवाएं प्राप्त करना चाहती हैं:–

1. ऐसे सभी प्राइवेट हॉस्पिटल वांछित महिलाओं को आवश्यक प्रसव सेवाएं देने हेतु पाबंद रहेंगे।
2. इस सेवा के दौरान अगर कोई गर्भवती महिला कोविड–19 पॉजिटिव पाई जाती है या हो जाती है तो चिकित्सालय को तुरंत डिसाइन्फेक्शन एवं बायररा के कंटेनमेंट हेतु बंद कर आवश्यक गतिविधियां सम्पादित की जानी आवश्यक होगी।
3. निजी चिकित्सालय को सुनिश्चित करना होगा कि वे गर्भवती महिलाओं को तीन श्रेणियों में भर्ती करते समय विभाजित करेंगे:–
   - जिनमें कोई कोविड–19 के लक्षण नहीं है।
   - जिनमें कोविड–19 संबंधित लक्षण है।
   - ऐसे सिंप्टोमेटिक केसेस जिनकी जांच नहीं हुई है

   इन्हें उपयुक्त राजकीय संस्थान पर आवश्यक उपचार हेतु रेफर कर सकेंगे।

❖ कोविड–19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाएं राज्य में निम्न अनुसार चिकित्सालयों में आवश्यक प्रसव सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं:–

- जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज अधीन महिला चिकित्सालय
- कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज
- बीकानेर में एमसीएच विंग, जिला अस्पताल के अधीन
- उदयपुर में सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज
- अजमेर में जनाना चिकित्सालय
- भरतपुर में जिला अस्पताल के निकट
- जोधपुर में एमडीएम अस्पताल
- इसके अतिरिक्त राज्य में जिलो के अधीन Designated कोविड–19 अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं हेतु प्रसव सेवाऐं उपलब्ध है।

❖ ध्यान देने हेतु विशेष बिन्दू:–

1. मुख्यतः प्रसव की अनुमानित तिथि के 15 दिवस के भीतर प्रसव हो जाता है अतः ऐसी गर्भवती महिलाएं जो हॉट स्पॉट कंटेनमेंट जॉन एवं क्लस्टर एरिया में आगामी 15 दिवस में प्रसव होने वाला है अथवा कोई कोविड–19 के लक्षण नहीं है तो भी कोविड–19 की जांच की जानी चाहिए।
2. इन क्षेत्रों से आई गर्भवती महिला की जांच उस चिकित्सालय में ही की जानी है जहां उनका प्रसव करवाया जाना है इनका सैंपल लिया जाकर प्रयोगशाला भेजा जाना है महिला को सैंपल देने हेतु भेजने अथवा रैफर नहीं करना चाहिए।
3. सैंपल प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा ही लिया जाकर प्रयोगशाला में भेजा जाना चाहिए।
4. कोई भी चिकित्सालय अथवा चिकित्सा कर्मी आपातकालीन प्रसव सेवाएं देने हेतु मना नहीं कर सकते जब तक की आवश्यक चिकित्सीय परिस्थितियां नहीं हो।
5. किसी भी गर्भवती महिला को जाति धर्म अथवा गरीबी आदि के आधार पर सेवाओं से पृथक किया जाना कानूनी अपराध माना जावेगा।

❖ प्रसव पश्चात सेवाएं:–

1. प्रत्येक गर्भवती महिला को प्रसव पश्चात आवश्यक आयरन फोलिक एसिड कैल्शियम की गोलियां दी जानी है।
2. किसी परिस्थिति में अगर घरेलू प्रसव होता है तो प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मी द्वारा तुरंत घर जाकर प्रसूता वह नवजात शिशु को आवश्यक देखभाल की जानी है।
3. आवश्यक हो तो चिकित्सालय में भर्ती कर आवश्यक उपचार सेवाएं दी जानी है।

Scanned with CamS

❖ परिवार कल्याण एवं सुरक्षित गर्भपात सेवाएं:–

1. प्रसव पश्चात आवश्यक गर्भनिरोधक सेवाओं के बारे में जानकारी दी जानी है एवं उपयुक्त गर्भ निरोधक साधन उपलब्ध करवाया जाकर घर के नजदीक उप स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम अथवा आशा को आवश्यकतानुसार संसाधन प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना है।
2. Covid-19 परिस्थितियां सामान्य होने तक नसबंदी अथवा IUCD निवेशन आदि सेवाएं समुचित रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रही है अतः इस बाबत आवश्यक सूचना संस्थानों पर डिस्प्ले की जावे।
3. लाभार्थियों को अस्थाई साधनों यथा निरोध, ओरल पिल्स अथवा अंतरा (इंजेक्टेबल) आदि हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।

❖ मेडिकल अथवा सर्जिकल गर्भपात सेवाएं:–

- निर्धारित संस्थानों पर नियमित रूप से दी जावे जिसमें सभी आवश्यक इनफेक्शन प्रीवेंशन प्रोटोकॉल्स की पालना सुनिश्चित की जावे साथ ही गर्भ समापन पश्चात आवश्यक गर्भनिरोधक सेवा हेतु प्रेरित किया जावे।

कोविड–19 के मद्देनजर समय–समय पर विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले नवीनतम दिशा–निर्देशों की पालना सभी मातृ एवं शिशु सेवाओं के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को अपनाते हुए सुनिश्चित कराया जावे।

28/04/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
2. वरिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एन0एच0एम0।
6. निजी सहायक, निदेशक, आरसीएच/जनस्वास्थ्य।
7. जिला कलक्टर, समस्त जिले।
8. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
9. समस्त अधीक्षक व विभागाध्यक्ष, चिकित्सकीय शिक्षा/मेडिकल सर्विसेज।
10. परियोजना निदेशक, मातृ स्वास्थ्य/शिशु स्वास्थ्य/परिवार कल्याण।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
12. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिले।
13. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
14. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त जिले।
15. सर्वर रूम।
16. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव
चिकि., स्वा. एवं प.क. एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

Scanned with CamS